आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

11.3.2023

विविध अपील वाद सं0 4/2017–18

सोना देवी प्रति कुन्ती देवी

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा विविध वाद सं0 04/2017–18 में दिनांक 26.12.2017 को पारित आदेश के विरूद्व अपील वाद दायर किया गया। विपक्षी उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया तत्पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा जमुआ थाना वो अंचल नगर उंटारी जिला गढ़वा के खाता सं0 40 प्लौट सं0 408 रकबा 2.00 एकड़ चौहदी उ0 किसुन भुईया वगै0 दक्षिण रामनाथ चन्द्रवंशी वो वर्तमान रास्ता पूरब किसुन भुईया वगै0 एवं रानाप्रताप देव पश्चिम किसुन भुईया वो रामनाथ चन्द्रवंशी वो बिन्देशरी चन्द्रवंशी भूमि अपीलार्थी बिक्रय पत्र सं0 1456 दिनांक 30.07.2014 के द्वारा खरीद की है। अपीलार्थी के नाम से उक्त वर्णित केवाला का दाखिल खारिज केश नम्बर 337/2014–15 से होकर सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है तथा खरीद करने के बाद से लेकर आजतक सम्पूर्ण 2.00 एकड़ भूमि पर अपीलार्थी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अपीलार्थी के द्वारा केवाला सं0 1456 दिनांक 30.07.2014 से खरीद की गई 2.00 एकड़ भूमि के चौहदी के अन्दर प्रत्यर्थी के द्वारा 0.41 एकड़ भूमि पर द्वारा 144 द.प्र.सं. विविध 749/2017 श्री मान् अनुमण्डल दण्डाधिकारी नगर उंटारी के न्यायालय में दिनांक 26.08.2017 को प्रारम्भ कराया गया था उक्त अभिलेख में प्रत्यर्थी के द्वारा ग्राम जमुआ के खाता सं0 40 प्लौट सं0 408 रकबा 0.41 एकड़ भूमि को केवाला सं0 3521 दिनांक 21.05.1980 के द्वारा बिक्रेता रघुनाथ सिंह पिता बालदेव सिंह से खरीद करने की बात का उल्लेख किया गया है। धारा 144 द.प्र.सं. के आवेदन पत्र के साथ प्रत्यर्थी के द्वारा केवाला सं0 3521 दिनांक 21.05.1980 की छायाप्रति सरकारी लगान रसीद सं0 JH/37 ए 050796 नामे कुन्ती देवी की छायाप्रति सीमांकन वाद सं0 30/2014–15 के आदेश फलक की छायाप्रति दाखिल किया गया था। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल केवाला सं0 3521 दिनांक 21.05.1980 का सत्यापन जब अपीलार्थी के द्वारा निबंधन कार्यालय गढ़वा एवं अभिलेखगार डालटेनगंज से किया गया तब ज्ञात हुआ कि कुन्ती देवी पति सत्येन्द्र राम प्रत्यर्थी के द्वारा 144 द.प्र.सं. में दाखिल केवाला सं0 3521 दिनांक 21.05.1980 बिलकुल जाली है। दिनांक 21.05.1980 या उसके बाद भी कुन्ती देवी के नाम से केवाला सं0 3521 निबंधित नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी कुन्ती देवी के नाम से निर्गत लगान रसीद सं0 JH/37 ए 050796 की जॉच एवं मिलान ग्राम जमुआ थाना वो अंचल नगर उंटारी के मांगपंजी के पृष्ट सं0 103/1 से किया गया तब ज्ञात हुआ कि मांगपंजी में पृष्ट सं0 103/1 नहीं है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3

ऐसी स्थिति में बंशी पाठक राजस्व कर्मचारी के द्वारा कुन्ती देवी प्रत्यर्थी के नाम से जाली लगान रसीद निर्गत किया गया है। उक्त केवाला एवं लगान रसीद के आधार पर अंचल अमीन के द्वारा बिना स्थल जॉच किये सीमांकन का जाली अभिलेख खोल कर सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण किया गया है। वर्तमान हल्का कर्मचारी के द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कुन्ती देवी पति सत्येन्द्र राम के नाम से प्राप्त लगान रसीद सं0 JH/37 ए 050796 दिनांक 10.11.2014 जिसका मांगपंजी 2 में कुन्ती देवी पति सत्येन्द्र राम का नाम कहीं भी संधारित नहीं है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन की सम्पुष्ठि अंचल निरीक्षक के द्वारा करते हुए अंचल पदाधिकारी नगर उंटारी के समक्ष प्रेषित किया गया है। जो अभिलेख में संलग्न है। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी के नाम चल रहे जाली जमाबंदी को रद्द करने हेतु विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी के समक्ष दिनांक 14.11.2017 को आवेदन पत्र दायर किया गया । अपीलार्थी के आवेदन पत्र की जॉच हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से कराने के उपरान्त अभिलेख संधारित करते हुये प्रत्यर्थी को सूचना निर्गत करते हुये प्रश्नगत् खाता प्लौट से संबंधित सभी कागजात दिखाने हेतु निर्देश दिया गया। निर्धारित तिथि दिनांक 26.12.2017 को विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा प्रत्यर्थी के कागजातों की छानबीन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा दिनांक 26.12.2017 के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर नामांतरण अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है।

प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का भूमि से संबंधित दस्तावेज/राजस्व कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

विद्वान अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से प्राप्त विविध वाद सं0 4/2017–18 का मूल अभिलेख एवं संलग्न जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा जमुआ खाता सं0 40 प्लौट सं0 408 रकबा 0.41 एकड़ भूमि का मांग कुन्ती देवी पति सत्येन्द्र राम के नाम से प्राप्त लगान रसीद सं0 JH/37 ए 050796 दिनांक 10.11.2014 जिसका मांगपंजी 2 का पृष्ट सं0 103/1 अंकित है। इस मौजा के उक्त भूमि का मांग मांगपंजी 2 में कुन्ती देवी पति सत्येन्द्र राम का नाम कहीं भी संधारित नहीं है। एवं उक्त अभिलेख में मांग रद्द करने से संबंधित है अंकित है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल लिखित प्रत्युत्तर साक्ष्य कागजातों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया कि अपीलार्थी के द्वारा उक्त वाद की भूमि अंचल नगर उंटारी मौजा जमुआ खाता सं0 40 प्लौट सं0 408 रकबा 0.41 एकड़ भूमि का लगान निर्गत रसीद सं0 JH/37 ए 050796 दिनांक 10.11.2014 में अंकित मांगपृष्ट सं0 103/1 को बिलोपित करने हेतु अपील वाद दायर किया गया है। उक्त भूमि अपीलार्थी को केवाला सं0 1456 दिनांक

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30.07.2014 के द्वारा खाता सं0 40 प्लौट सं0 408 रकबा 2.00 एक भूमि क्रय किये है जिसका दाखिल खारिज वाद सं0 337/2014–15 से नामांतरण होकर मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 118/4 पर संधारित होकर लगान रसीद निर्गत है। प्रत्यर्थी को उक्त अपील वाद की भूमि केवाला सं0 3521 दिनांक 21.05.1980 के द्वारा खाता सं0 40 प्लौट सं0 408 रकबा 0.41 एकड़ भूमि प्राप्त है। जिसका मांग पंजी के पृष्ट सं0 103/1 अंकित है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से प्राप्त विविध वाद सं0 4/2017–18 मौजा जमुआ के मांगपंजी चल रहे एक ही भूमि का मांग दोहरी जमाबंदी से संबंधित है। यह मामाला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का है। इसलिए इस वाद में आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
श्री बंशीधर नगर।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.11 16:46:38 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner